

**कार्यालय अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर**

उमीदवार का अंकु नं.पि./राज.आ.म./जयपुर/2019-20/ 516

दिनांक : 17-02-2020

परियोजना समिति की 159 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

परियोजना समिति की 159 वीं बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में दिनांक 13.02.2020 को दोपहर 4:30 बजे बोर्ड कक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:-

1.	श्री भास्कर ए. सावंत अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	सदस्य
3.	श्री वी. के. दलेला, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक प्रतिनिधि मुख्य नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।	सदस्य
4.	श्री के. सी. मीना, मुख्य अभियन्ता—प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।	सदस्य
5.	श्री जी.एस. बाघेला, मुख्य अभियन्ता—द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।	सदस्य
6.	श्री नत्थू राम अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।	सदस्य
7.	श्री नरेन्द्र बोहरा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।	सदस्य
8.	श्री सन्त जरन, लप नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।	-
9.	श्री अनिल मथुर, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।	सदस्य—सचिव

31/2

सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही सभी उपस्थित सदस्यों व अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुये प्रारम्भ की गयी। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय लिये गये:-

एजेण्डा नं 1.	परियोजना समिति की 158वीं बैठक दिनांक 17.12.2019 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा परियोजना समिति की 158 वीं बैठक दिनांक 17.12.2019 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
एजेण्डा नं 2.	परियोजना समिति की 158 वीं बैठक दिनांक 17.12.2019 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।
निर्णय	समिति द्वारा परियोजना समिति की 158 वीं बैठक दिनांक 17.12.2019 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति का अवलोकन किया गया एवं पुष्टि की गयी।
एजेण्डा नं 3	सेक्टर-24, राज आंगन योजना (एन.आर.आई.), प्रताप नगर, जयपुर में Amenities 1, 3 एवं 4 के प्रवेश मार्ग को योजना के बाहर स्थित मुख्य सड़कों से करने बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 4	ग्राम सिरोली आवासीय योजना तहसील सांगानेर, जिला-जयपुर के पार्ट ले-आउट ब्लॉक-1 में आवासीय भूखण्डों की नम्बरिंग एवं व्यावसायिक भूखण्डों का स्टेपलर्ड साईज में नियोजन एवं नम्बरिंग किये जाने बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 5	मानसरोवर योजना, जयपुर के एस.एफ.एस., सेक्टर-04 में विकसित व्यावसायिक योजना (Convinient Shops) में टॉयलेट के स्थान में संशोधन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 6	मण्डल की विज्ञान नगर, आवासीय योजना, कोटा के मानचित्र में संशोधन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि जिस स्थल पर स्वतंत्र आवासों का नियोजन किया जा सकता हो, उनका नियोजन किया जाकर संशोधित मानचित्र का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 7	मानसरोवर योजना में मध्यम मार्ग व भृगु पथ के क्रासिंग पर रोटरी के स्थान पर टी जवांशन प्रस्तावित करने बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 8	सेक्टर-28, प्रताप नगर, जयपुर में वाणिज्यिक स्थल के नियोजन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।

३१८

एजेण्डा नं 9	मानसरोवर योजना में कॉमर्शियल बैल्ट-बी. वी.टी. रोड, जयपुर के अनुमोदित मानचित्र में विभिन्न भूखण्डों से लगती हुई बाहर की ओर दर्शित पट्टी को बिल्डिंग लाईन में समरूपता रखते हुए समीपवर्ती भूखण्डों में सम्मिलित कर नियोजन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सिटी पार्क हेतु मानचित्र में भूमि दर्शायी गयी है। सिटी पार्क का बाह्य स्त्रोतन से नियोजन करवाने तथा इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल, संगीतमय फव्वारा, पौण्ड, झील, प्रदर्शनी स्थल, फूड कोर्ट, हाट बाजार, ऑपन एयर थियेटर, आउटडोर जिम वॉक-वे, खेल मैदान आदि सुविधाओं का समायोजन किये जाने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा नं 10	राजस्थान आवासन मण्डल की चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर के समीप अशोक उद्यान, मुख्य पाल रोड पर जोधपुर चौपाटी के नियोजन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 11	कुन्हाडी आवासीय योजना, वृत्त-कोटा में 'कोटा चौपाटी' के नियोजन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 12	सेक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर स्थित द्वारकापुरी फैज-द्वितीय, ब्लॉक- F, G & H में मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजना के अन्तर्गत फ्लैट्स के नियोजन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 13	सेक्टर-15, प्रताप नगर योजना, जयपुर में नगरियाला चक गैटोर में प्रस्तावित शमशान घाट को निरस्त करने बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार पूर्व स्वीकृत शमशान घाट के नियोजन को निरस्त करते हुए वाणिज्यिक भूखण्डों के नियोजन करने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा नं 14	सेक्टर-6, मालवीय नगर योजना, जयपुर में पूर्व में निर्मित पक्के नाले की दीवार के साथ लगती हुई सड़क की चौड़ाई का निर्धारण वर्तमान स्थिति अनुसार करने बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मौके पर वर्तमान सड़क के मार्गधिकार को यथावत रखते हुए प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
एजेण्डा नं 15	सेक्टर-10, मालवीय नगर योजना, जयपुर में निर्मित फ्लैट संख्या-10/955 एवं अन्य फ्लैट्स के पीछे की तरफ उपलब्ध अतिरिक्त भूमि के आवंटन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मौके पर वर्तमान सड़क के मार्गधिकार को यथावत रखते हुए प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।

अ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रकरण	
अतिरिक्त एजेण्डा 1	राजस्थान आवासन मण्डल में विभिन्न वास्तुविदीय एवं नियोजन सेवाओं हेतु वास्तुविदों के पंजीयन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि वास्तुविदों का पूर्व में कार्यालय आदेश क्रमांक 247 दिनांक 23.10.2019 द्वारा विभिन्न श्रेणीयों में पंजीयन किया गया था। वर्तमान में भी अनेक वास्तुविदों द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। अतः उक्त आवेदनों की पूर्व निर्धारित मानदण्डों अनुसार नियमानुसार जाँच एवं अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरांत पंजीयन किये जाने का निर्णय लिया गया।
अतिरिक्त एजेण्डा 2	सैक्टर-14 ई, मानसरोवर योजना के "RHB ATISH MARKET"/"आर.एच.बी. आतिश मार्केट" के परियोजना समिति की 158वीं बैठक में अनुमोदित मानचित्र में सशोधन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार मानचित्र का अनुमोदन किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(अनिल माथुर) १५/२/२०
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
सदस्य—सचिव,

क्रमांक— अ.मु.न.नि./रा.आ.म./जयपुर/2019-20/ ५१६

दिनांक : १७-०२-२०२०

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ।

- निजी सचिव—अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- निजी सचिव—आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता—प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

(अनिल माथुर) १७/२/२०
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक